

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कबीरधाम(छ.ग.)

// आदेश //

क्रमांक / 3827 / सां.लि / कोरोना / 2020

कवर्धा, दिनांक 03 / 06 / 2020

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3722 दिनांक 29.05.2020 द्वारा मई माह के अंतिम शनिवार-रविवार को होने वाले पूर्ण लॉकडाउन को निरस्त करते हुए सभी दुकानें/संस्थायें/प्रतिष्ठान/सेवाओं को जो भारत सरकार, गृह मंत्रालय व छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रतिबंधित नहीं है, के संचालन में सप्ताहिक अवकाश का पालन करने का आदेश जारी किया गया था।

उक्त संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि कवर्धा शहर में साप्ताहिक अवकाश दिन शुक्रवार को सभी दुकानें/संस्थायें/प्रतिष्ठान/सेवाओं को बंद रखा जावे।

आदेश का उल्लंघन होने पर दुकान/प्रतिष्ठान/संस्थान/सेवाओं के विरुद्ध कार्यवाही किया जाकर सील की जा सकेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला कबीरधाम

कवर्धा, दिनांक 03 / 06 / 2020

पृ.क्रमांक / 3828 / सां.लि / कोरोना / 2020
प्रतिलिपि -

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
5. पुलिस अधीक्षक, जिला कबीरधाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. वनमण्डलाधिकारी, जिला कबीरधाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ। भारत सरकार, गृह मंत्रालय व छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रतिबंधित नहीं है, को छोड़कर स्थानीय स्तर पर संचालित दुकानें/संस्थायें/प्रतिष्ठान/सेवाओं हेतु साप्ताहिक अवकाश का निर्धारण सुनिश्चित करें।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. श्रम पदाधिकारी, कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सर्व जनपद पंचायत..... कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सहायक संचालक, जनसंपर्क कबीरधाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. तहसीलदार सर्व.....जिला कबीरधाम को सूचनार्थ। कोटवारी के माध्यम से मुनादी भी करायें।
14. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत जिला कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. सर्व संबंधित श्रीको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला कबीरधाम